न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
29.07.2025	रामस्वरूप बनाम ग्राम पंचायत पहाडी मु0नं0 11/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व अपील की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया है कि दिनांक 20.08.2023 को अपीलांट का पुत्र मुकदमे के सिलसिले मे हल्का पटवारी से बंटवारा बाबत पूछने गया तब पटवारी ने बताया कि बंटवारा तो कर देंगे, तुम्हारे पिताजी के हिस्से 1/9 नाम वाली भूमि खसरा नं 222/0.16 है0, 253/0.75 है0, 263/4879/0.04 है0, 269/0.13 है0, 278/0.10 है0, 282/0.09 है0, 283/0.07 है0 कुल किता 7/1.34 है0 स्थित ग्राम पहाडी का भी बंटवारा करा लो, तब आवेदक के पुत्र ने कहा पटवारी जी यह तो हमारे पिता रामस्वरूप पुत्र नारायण को सन् 1959 मे रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा देवफूल पुत्र राधे ब्राहमण से प्राप्त हुई थी, तब अपीलांट के पुत्रान ने तहसील कार्यालय टोडाभीम व जिला कार्यालय करौली से दरख्वास्त लगाकर दिनांक 28.08.2023 को नकल प्राप्त की, इसके बाद अपीलांट का स्वास्थ्य खराब हो गया, नकल प्राप्ति के बाद नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1976 की समस्त कार्यवाही का पता चला और दिनांक 07.04.1960 व 04.12.1976 से अपील पेश होने के दिन तक के डिले को कंडोन फरमाया जावे व अपील अंदर म्याद प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अपीलांट द्वारा अपील व प्रार्थनापत्र दफा 5 के समर्थन मे दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 प्रमाणित प्रति नामांतकरण सं 24, प्रमाणित प्रति खेवट खतोनी ग्राम पहाडी, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश किये हैं।

जबाब बहस मे वकील रेस्पोंडेंट द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यों का दोहरान करते हुये बहस मे कथन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र दफा 5 म्याद अधिनियम मे समस्त तथ्य बिल्कुल झूंठे दर्ज किये हैं, वास्तव मे नामांतकरण जेरे अपील तस्दीक होने के कुछ समय बाद से ही न्यायालयों मे विवाद लंबित रहे है, इस प्रकार नामांतकरण जेरे अपील की बखूबी जानकारी अपीलान्ट को रही है, फिर भी अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामांतकरण तारीखी 04.12.1960 से 64 साल बाद पेश की गई है, जो कानूनन म्याद बाहर है, इस प्रकार दिनांक 07.04.1960 व 04.12.1976 से अपील प्रस्तुत होने के दिनांक तक का डिले कंडोन फरमाया जाना आवश्यक व न्याय संगत नहीं है, प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे एवं कथन किया है कि नामांतकरण सं 24 ना ही तो ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर मे दिनांक 13.06.1960 को पेश हुआ, और ना ही दिनांक18.06.1960 को पेश हुआ, और ना ही उक्त नामांतकरण दिनांक 04.12.1976 को फैसल ही हुआ, अपीलांट द्वारा अपील व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मे नामांतकरण सं 24 की उक्त दिनांक 04.12.1976 बिल्कुल गलत व काल्पनिक दर्ज की है। वास्तव मे उक्त नामांतकरण सं 24 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 04.12.1960 को फैसल किया गया है, जिसकी बखूबी जानकारी अपीलांट को होते हुये भी जानबूझकर लगभग 64 साल बाद यह अपील पेश की गई है, जो म्याद बाहर होने से कानूनन मेंटनेबिल नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है, एवं कथन किया है कि नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960 अपीलान्ट के हक मे दानपत्र तारीखी 17.03.1959 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.04.1960 को भरा जाकर दिनांक 27.04.1960 को तुलना की गई, जिस पर उसी दिन दानकर्ता देवफूल पुत्र राधे द्वारा ग्राम पंचायत मे हाजिर होकर यह उज्रदारी बयान की कि दिनांक 17.03.1959 को की गई रजिस्ट्री अर्थात दानपत्र रजामंदी से वापिस हो गया है और जमीन पर रामस्वरूप को कब्जा देना नहीं पाये जाने से उक्त नामांतकरण अस्वीकार किया गया एवं उक्त दानपत्र की वापिसी बाबत दिनांक 22.06.1960 को स्वयं अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों के हक मे लिखावट की गई थी, कि देवफूल ने मेरे पर्चे की जमीन का दानपत्र जो कराया है, उसको मैने राजीखुशी तीनों को दे दिया, देवफूल जमीन बांटे तो तीनों को बांटे, देवफूल की जमीन पर कोई एक कब्जा नहीं करेगा, यह लिखावट मैने खर्चे के कंचन, किरोडी से साढे 34 रूपये, बद्री से साढे 34 रूपये, नारायण से साढे 34 रूपये वसूल पाकर रा[illegible] लिखावट मूल दानपत्र की पुश्त पर भी दिनांक 22.06.1960 को ही कर दी [illegible] र उक्त दानपत्र स्वयं देवफूल व अपीलांट द्वारा दोनों ने ही निरस्त [illegible] दानपत्र की पुश्त पर व रेस्पोंडेंटस के पूर्वजों के हक मे [illegible] खातेदारी की आराजी को रेस्पोडेंट्स के पूर्वज कंचन, किरोडी, बद्री, नारायण को बराबर-बराबर हिस्सा दे दिया, जो अपीलान्ट की पूर्ण एवं स्वतंत्र सहमति से दिया गया [illegible] है, जिस पर रेस्पोडेंटस आज भी काबिज हैं। फिर अपीलान्ट द्वारा बदयांति से नामांतकरण सं 24 जेरे अपील के खिलाफ दिनांक 24.08.1961 को एक अपील श्रीमान अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे मुकदमा नं 236/1961 पेश की, जो श्रीमान अपर जिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 16.12.1961 को खारिज की गई, इसके बाद भी पुनः एक अपील श्रीमान अपर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

दिनांक

जिलाधीश सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे मुकदमा नं 268/1966 पेश की, जो दिनांक 28.02.1967 को न्यायालय ने यह मानते हुये खारिज की गई कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे भी अपील पेश की जा चुकी है, जो खारिज हो चुकी है, इस प्रकार अपीलान्ट को नामांतकरण जेरे अपील की जानकारी सन् 1961 से ही बखूबी रही है।

आगे कथन किया है कि उक्त सारी कार्यवाही अपीलांट स्वयं के खिलाफ हो जाने के बाद भी अपीलांट द्वारा उक्त सभी तथ्यों को छिपाकर ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर को मुगालता देकर एक नामांतकरण सं 670 रेस्पोडेंट्स की बैक पर तस्दीक करवा लिया, जिसका पता चलते ही रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों द्वारा नामांतकरण सं 670 के खिलाफ न्यायालय उपजिलाधीश हिण्डौन के समक्ष मु0नं0 9/1983 अपील पेश की, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.1983 को नामांतकरण सं 670 निरस्त कर पत्रावली ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर को रिमांड की गई, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.04.1985 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुये उक्त नामांतकरण सं 670 को निरस्त फरमा दिया गया, इसके बाद फिर अपीलान्ट द्वारा नामांतकरण सं 24 जेरे अपील मे दर्ज आराजी व दीगर आराजी के बाबत एक सिविल दावा मु0नं0 28/1986 वउनवानी न्यायालय अपर मुंसिफ हिण्डौन सिटी मे पेश किया, जो माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.1986 को खारिज फरमा दिया गया, इसके बाद अपीलान्ट द्वारा एक दावा मु0नं0 140/2018 श्रीमान न्यायालय मे वउनवानी रामस्वरूप बनाम मनसुख बाबत तकास्मा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जो रेस्पोडेंट्स द्वारा पूर्व से ही प्रस्तुत दावा किरोडी बगै0 बनाम शिवजी बगै0 के साथ कंसोलीडेट कर, माननीय न्यायालय द्वारा दोनों मुकदमो का दिनांक 05.01.2021 को एक ही निर्णय पारित किया, जो इंतजार बंटवारा स्कीम मे लंबित है, साथ ही कथन किया कि अपीलान्ट नामांतकरण सं 24 जेरे अपील के खिलाफ पूर्व मे भी माननीय न्यायालयों मे अपील पेश करता रहा है जो खारिज की जा चुकी है, अब पुनः न्यायालय श्रीमान को मुगालता देते हुये यह अपील खिलाफ कानून पेश की है, जिस पर रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्वांत लागू होता है, और अपील अपीलान्ट अंतर्गत धारा 11 जा0दी0 खारिज की जावे।

इस प्रकार उक्त नामांतकरण सं 24 के खिलाफ अपीलांट निरंतर कार्यवाही करता चला आ रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960 की अपीलांट को बखूबी जानकारी रही है, फिर भी अपीलांट द्वारा 64 साल बाद यह अपील पेश की है। और 64 साल के डिले को कंडोन किया जाना न्याय संगत नहीं है। और ऐसे डिले के बाद पेश हुई अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना कतई न्याय संगत नहीं है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज किया जावे एवं अपील नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960 म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट द्वारा अपील व प्रार्थनापत्र दफा 5 के समर्थन मे दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 प्रमाणित प्रति नामांतकरण सं 24, प्रमाणित प्रति खेवट खतोनी ग्राम पहाडी, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल पेश किये हैं। जबकि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने जबाब प्रार्थनापत्र के समर्थन मे फोटो प्रति दस्तावेजात नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960, लिखावट तारीखी 22.06.1960, दानपत्र तारीखी 17.03.1959 एवं दान पत्र की पुश्त पर दर्ज लिखावट तारीखी 22.06.1960, अपील मीमो मुकदमा नं 236 तारीख 24.08.1961, फैसला तारीखी 16.12.1961 न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर मुकदमा नं 236/61 उनवानी रामस्वरूप बनाम सरकार, हलफनामा तारीखी 11.07.1966 शपथकर्ता रामस्वरूप मुकदमा नं 268/66 फैसला तारीखी 28.02.1967 मुकदमा नं 268/66 उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर, नामांतकरण सं 670 तारीखी 24.01.1981 एवं निर्णय दिनांक 19.03.1986 ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर, अपील मीमो कंचनलाल बगै0 बनाम रामस्वरूप बगै0 न्यायालय एसडीओ हिण्डौन तारीखी 07.01.1983, निर्णय उप जिलाधीश हिण्डौन मुकदमा नं 09/83 उनवानी कंचनलाल बगै0 बनाम रामस्वरूप बगै0 तारीख फैसला 26.12.1983, फैसला नामांतकरण सं 670 तारीखी 12.04.1985 ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर, निर्णय प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मुकदमा नं 28/86 तारीखी 08.08.1986 न्यायालय अपर मुसिफ हिण्डौन उनवानी रामस्वरूप बनाम किरोडी, आदेशिका तारीखी 17.12.2018 से 05.01.2021 मुकदमा नं 140/18 न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम उनवानी रामस्वरूप बनाम मनसुख, वादपत्र रामस्वरूप बनाम मनसुख मुकदमा नं 140/18, निर्णय व डिक्री तारीखी 05.01.2021 न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम उनवानी रामस्वरूप बनाम मनसुख, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062, जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040, नामांतकरण सं 280 तारीखी 26.06.1966, जमाबंदी हाल खाता सं 26 सम्वत 2076 से 2079, फैसला अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर मुकदमा नं 306/66 बाबत नामांतकरण सं 280 तारीखी 28.02.1967 उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण, निर्णय न्यायालय आर ए ए साहब कोटा मुकदमा नं 424/67 तारीख फैसला 31.12.1968 उनवानी रामस्वरूप बनाम नारायण बगै0 पेश किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया और

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	

पत्रावली मे उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया।

यह अपील सरपंच ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर के आदेश तारीखी 04.12.1960 के खिलाफ पेश की गई है, जिसके अनुसार नामांतकरण सं 24 मोजा पहाडी अपीलांट के नाम अस्वीकार किया गया है।

अपीलांट ने पत्रावली मे पेश प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मे अपील पेश करने मे हुई देरी का कारण उक्त नामांतकरण सं 24 तारीखी 04.12.1960 के बारे मे जानकारी नहीं होना और उक्त नामांतकरण की प्रथम बार जानकारी दिनांक 20.08.2023 को अपने पुत्र को पटवारी हल्का से मिलने पर होना दर्ज की है, जबकि रेस्पोडेंट्स द्वारा पत्रावली मे पेश दस्तावेज अपील मीमो मुकदमा नं 236 तारीख फैसला 16.12.1961 वउनवानी रामस्वरूप बनाम सरकार अपीलांट स्वयं ने श्रीमान न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की है, जो दिनांक 16.12.1961 को अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज हुई है एवं दस्तावेज हलफनामा दिनांक 11.07.1966 मुकदमा नं 268/66 मे न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश किया है, जिसमे उक्त नामांतकरण का प्रथम ज्ञान दिनांक 14.03.1966 को पटवारी से पूछने पर होना दर्ज किया है, उक्त अपील न्यायालय अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.02.1967 को म्याद बाहर मानते हुये खारिज फरमाई गई है। इसके अलावा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त नामांतकरण सं 24 के खिलाफ सिविल एवं रेवेन्यू न्यायालयों मे कार्यवाही करता रहा है, ऐसी स्थिति मे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त नामांतकरण सं 24 की जानकारी प्रथम बार अपीलांट को दिनांक 20.08.2023 को हुई हो, बल्कि अपीलांट को उक्त नामांतकरण सं 24 की जानकारी प्रारंभ से ही रही है, और अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र मे अपील पेश करने मे हुई देरी का कोई उचित एवं संतोषप्रद कारण भी दर्ज नहीं किया है, यहां न्यायालय रेस्पोडेंट्स के इस कथन से सहमत है कि अपीलांट द्वारा यह अपील नामांतकरण सं 24 की बखूबी जानकारी सन् 1961 से होते हुये भी 64 साल बाद पेश की गई है, जिसे कानूनन अंदर म्याद शुमार नहीं किया जा सकता, ऐसी सूरत मे अपीलांट का यह कथन की अपील तारीख इल्म से अंदर म्याद है, कतई असत्य है, और अपील स्पष्टतया म्याद बाहर पेश की गई है, क्योंकि अपीलांट को सन् 1961 मे ही नामांतकरण सं 24 की जानकारी हो चुकी थी, और अपीलांट ने अपील भी पेश कर दी थी।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है, और अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested